



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-732

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 323218 दिनांक 05/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kamla Devi W/o Kailash Chand	कैलाश चन्द पुत्र स्व. श्री धन्नाराम	3NP	97.50 SQ. YARD	Cooperative	INDRA VIHAR Sector/Block-H	Name Transfer	नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना इन्द्र विहार-एच के भूखण्ड संख्या 3 नॉर्थ पार्ट क्षेत्रफल 97.50 व.ग. की लीजडीड दिनांक 04.03.2014 को कैलाश चन्द पुत्र स्व. श्री धन्नाराम के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात् उक्त पट्टा विलेख को दिनांक 16.06.2016 को पुनर्विध किया गया। आवेदिका द्वारा अपलोड मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 07.06.2024 को मूल भूखण्ड स्वामी कैलाश चन्द का निधन हो गया। आवेदिका द्वारा अपलोड शपथ पत्र अनुसार मूल भूखण्ड के वारिसान



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

निम्नानुसार है:-
1. कमला देवी,
पत्नी 2. रघुवीर
कायत, पुत्र 3.
अरविन्द कायत,
पुत्र 4. तनुज
कायत, पुत्र।
तत्पश्चात् उक्त
भूखण्ड का जरिये
रजिस्टर्ड हक
त्याग पत्र दिनांक
12.09.2025 को
अरविन्द कायत
एवं तनुज कायत
द्वारा अपना
अविभाजित हिस्सा
रघुवीर कायत एवं
कमला देवी के
पक्ष में कर दिया
गया। तत्पश्चात्
उक्त भूखण्ड का
जरिये रजिस्टर्ड
हक त्याग पत्र
दिनांक
25.07.2026 को
रघुवीर कायत
द्वारा अपना
अविभाजित हिस्सा
कमला देवी के
पक्ष में कर दिया
गया। उक्त हक
त्याग पत्र में
दिनांक
24.07.2027
अंकित है।
आवेदिका द्वारा
नाम हस्तांतरण
हेतु आवेदन किया
गया है। अतः
पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
आदेशार्थ प्रस्तुत
है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kamla Devi W/o Kailash Chand को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।